न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 173 / 2014
दायर दिनांक :– 12.11.2014

अनवान

श्री रामेश्वर पिता धन्ना जाट नि. टीठोडी तहसील जहाजपुर

वादीगण..........

बनाम

1. श्री मगना पिता उदा जाट नि. टीठोडी तहसील जहाजपुर
2. श्री बन्ना पिता उदा जाट नि. टीठोडी तहसील जहाजपुर
3. श्री राजु पिता उदा जाट नि. टीठोडी तहसील जहाजपुर
4. श्री लादु पिता धन्ना जाट नि. टीठोडी तहसील जहाजपुर
5. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शशिकान्त पत्रिया, वकील वादी

:: निर्णय :: दिनांक 16.12.2019

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम टीठोडी प. ह. टीठोडी तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1327 रकबा 08.06 बीघा, आ.न. 1330 रकबा 22.02 बीघा कुल किता 2 रकबा 30.08 बीघा वादी खातेदारी की भुमि होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। तथा वादीगण ने उक्त आराजियात को प्रतिवादीगण ने दादागिरी के बल पर एव शक्ति व लट्ठ के बल पर 3 वर्ष पुर्व खेत की मेड को तोड कर अतिक्रमण / अतिचार कर अवैध रूप से कब्जा कर वादीगण को कब्जे काश्त से बेदखल कर दिया। वादी ने प्रतिवादीगण को ओलमा दिया तो उन्होने कहा की आप अपनी जमीन की पत्थरगढी करवा लो तथा कब्जा मेरी तरफ निकलता हैं तो मै छोड दुंगा। जिस पर वादीगण ने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के यहां वाद पत्र पेश किया। तथा प्रकरण सं. 161 / 12 द्वारा मान्य न्यायालय ने वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया तथा आदेशानुसार दिनांक 14.05.2014 को गिरदावर हल्का व पटवार हल्का द्वारा उक्त भूमि में मुस्तकील निशानात से जरीब चलाकर प्रतिवादीगण की मौजुदगी में सीमांकन कर पत्थरगढी की गई। तथा वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण ने आ. सं. 1330 के पश्चिमी दिशा की भूमि पर 16 बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा तथा उक्त आराजी के पूर्व सीमा की ओर प्रतिवादीगण ने 5 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। प्रतिवादीगण ने दादागिरी एवं शक्ति के बल पर वादी की कृषि भूमि पर जबरन अतिचार / कब्जा कर लिया हैं तथा पत्थरगढी होने के उपरान्त भी कब्जा नही छोड रहा हैं। एवं लडाई झगडा करने पर आमादा हैं। इसलिये वादीगण की कृषि आराजियात में पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार वादी की भूमि में किये गये शक्ति के बल कब्जा को हटाया जाकर वादी को दिलाया जाना आवश्यक हैं। साथ ही भविष्य में वादी की भूमि में किसी प्रकार की

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

दखलदांजी नही करे न ही अन्य से करावें इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। वादी उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण अनाधिक कब्जे की भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने की डिक्री एवं वादी के कब्जे काश्त की कृषि भुमि कें प्रतिवादीगण से वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दंखलदाजी नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त कर शा0 फा0 किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में पत्थरगढी मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 14.05.2014 की प्रति पेश की। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर शक्ति के बल पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। मैने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जो की वादी की भूमि है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 14.04.2014 से होती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम टीठोडी प. ह. टीठोडी तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1327 रकबा 08.06 बीघा, आ.न. 1330 रकबा 22.02 बीघा कुल किता 2 रकबा 30.08 बीघा में प्रतिवादीगण से कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखंलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम —जहाजपुर ;भीलवाडा

ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

श्री रामेश्वर पिता धन्ना जाट नि. टीठोडी तहसील जहाजपुर

वादीगण..........

बनाम

1. श्री मगना पिता उदा जाट नि. टीठोडी तहसील जहाजपुर
2. श्री बन्ना पिता उदा जाट नि. टीठोडी तहसील जहाजपुर
3. श्री राजु पिता उदा जाट नि. टीठोडी तहसील जहाजपुर
4. श्री लादु पिता धन्ना जाट नि. टीठोडी तहसील जहाजपुर
5. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 183, 188 आर0टी0ए0

प्रकरण संख्या :– 173 / 2014

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री शशिकान्त पत्रिया का मिनजानिब मुदई व श्री ... का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम टीठोडी प. ह. टीठोडी तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1327 रकबा 08.06 बीघा, आ.न. 1330 रकबा 22.02 बीघा कुल किता 2 रकबा 30.08 बीघा में प्रतिवादीगण से कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखंलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 12:16:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: